



सहकारी बैंक

प्रलम्बिस के लयि:

शहरी सहकारी बैंक, हालयिा वकिस, शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिटि सोसायटी के राष्ट्रिय संघ, बहु-राज्य सहकारी समति अधनियिम, 2002 ।

मेन्स के लयि:

सहकारी बैंकों की वशिषताएँ और चुनौतयिाँ ।

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में गृह मामलों और सहकारति मंत्री ने शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समतियिों के राष्ट्रिय संघ (NAFCUB) द्वारा आयोजति एक सम्मेलन को संबोधति कयिा है, जसिमें **शहरी सहकारी बैंकों (UCB)** के लयि आवश्यक सुधारों पर ज़ोर दयिा गया है ।

- NAFCUB देश में शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिटि सोसायटी लमिटिड का एक शीर्ष स्तर का नकिय है । इसका उद्देश्य शहरी सहकारी ऋण की गतिको बढावा देना और कषेत्र के हतिों की रकषा करना है ।

सहकारी बैंक:

परचिय:

- यह साधारण **बैंकगि व्यवसाय** से नपिटने के लयि सहकारी आधार पर स्थापति एक संस्था है । सहकारी बैंकों की स्थापना शयरोँ के माध्यम से धन एकत्र करने, जमा स्वीकार करने और ऋण देने के द्वारा की जाती है ।
- ये सहकारी ऋण समतियिाँ हैं जहाँ एक समुदाय समूह के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं ।
- वे संबधति राज्य के सहकारी समति अधनियिम या **बहु-राज्य सहकारी समति अधनियिम, 2002** के तहत पंजीकृत हैं ।
- सहकारी बैंक नमिन द्वारा शासति होते हैं:
 - **बैंकगि वनियिम अधनियिम, 1949**
 - **बैंकगि कानून (सहकारी समति) अधनियिम, 1955**
- वे प्रमुख रूप से शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में वभिाजति हैं ।

वशिषताएँ:

- **ग्राहक के स्वामतिव वाली संस्थाएँ:** सहकारी बैंक के सदस्य बैंक के ग्राहक और मालकि दोनों होते हैं ।
- **लोकतांत्रकि सदस्य नयित्रण:** इन बैंकों का स्वामतिव और नयित्रण सदस्यों के पास होता है, जो लोकतांत्रकि तरीके से नदिशक मंडल का चुनाव करते हैं । सदस्यों के पास आमतौर पर "एक व्यक्ति, एक वोट" के सहकारी सिद्धांत के अनुसार समान मतदान अधिकार होते हैं ।
- **लाभ आवंटन:** वार्षकि लाभ, लाभ या अधशिष का एक महत्त्वपूर्ण हसिसा आमतौर पर आरकषति करने के लयि आवंटति कयिा जाता है और इस लाभ का एक हसिसा सहकारी सदस्यों को भी कानूनी और वैधानकि सीमाओं के साथ वतिरति कयिा जा सकता है ।
- **वतितीय समावेशन:** उन्होंने बैंक रहति ग्रामीण लोगों के वतितीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण भूमकि नभिाई है । वे ग्रामीण कषेत्रों में लोगों को सस्ता ऋण प्रदान करते हैं ।

शहरी सहकारी बैंक (UCB):

- शहरी सहकारी बैंक (UCB) शब्द औपचारकि रूप से परभिाषति नहीं है, लेकनि शहरी और अर्द्ध-शहरी कषेत्रों में स्थति प्राथमकि सहकारी बैंकों को संदर्भति करता है ।
- शहरी सहकारी बैंक (UCB), प्राथमकि कृषि ऋण समतियिाँ (PACS), **कषेत्रिय ग्रामीण बैंक (RRB)** और स्थानीय कषेत्र बैंक (LAB) स्थानीय कषेत्रों में काम करते हैं इसलयि इन्हें अलग-अलग बैंक माना जा सकता है ।
- वर्ष 1996 तक इन बैंकों को केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लयि धन उधार देने की अनुमति थी ।
- **पारंपरकि रूप से UCBs का कार्य छोटे समुदायों, कषेत्र के कार्य समूहों तक केंद्रति** थे और इनका उद्देश्य छोटे व्यवसायिों को धन उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों को बैंकगि प्रणाली से जोड़ना था । आज उनके संचालन का दायरा काफी व्यापक हो गया है ।

सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

- **वित्तीय क्षेत्र में बदलते रुझान:**
 - वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन और विकसित होते माइक्रोफाइनेंस, फनिटेक कंपनियाँ, पेमेंट गेटवे, सोशल प्लेटफॉर्म, **ई-कॉमर्स कंपनियाँ** और **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC)** UCB की नरितर उपस्थितिको चुनौती देती हैं, जो ज्यादातर आकार में छोटे, पेशेवर प्रबंधन की कमी और भौगोलिक रूप से कम विधिकृत हैं।
- **दोहरा नयितरण:**
 - UCB स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी और RBI द्वारा दोहरे वनियमन के अंतर्गत आते थे।
 - लेकिन वर्ष 2020 में सभी UCB और बहु-राज्य सहकारी समितियों को आरबीआई की सीधी नगिरानी में लाया गया।
- **मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार:**
 - सहकारी समितियाँ भी नयिमक मध्यस्थता का जरया बन गई हैं,
 - उधार देने और **मनी लॉन्ड्रिंग** रोधी नयिमों को दरकनार करना।
 - **पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC)** बैंक घोटाले के मामले की जाँच से पता चला है कि इसने सकल वित्तीय कुप्रबंधन और आंतरिक नयितरण तंत्र पूरी तरह से भंग कर दिया है।
- **कृषि ऋण में गरिबत:**
 - RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र द्वारा नभार्ई गई **महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद कुल कृषि ऋण में इसकी हसिसेदारी** वर्ष 1992-93 में 64% से कम होकर वर्ष 2019-20 में सरिफ 11.3% हो गई।
- **अनुचति लेखा परीक्षा:**
 - यह सर्ववदिति है कि लेखा परीक्षा पूरी तरह से वभिग के अधिकारियों द्वारा की जाती है और यह न तो नयिमति होती है और न ही व्यापक होती है। ऑडिट के संचालन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में व्यापक देरी होती है।
- **सरकारी हस्तकषेप:**
 - सरकार ने शुरु से ही आंदोलन को संरक्षण देने का रवैया अपनाया है। सहकारी संस्थाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो ये सरकार के प्रशासनिक ढाँचे का हसिसा हों।
- **सीमति कवरेज:**
 - इन समतियों का आकार बहुत छोटा रहा है। इनमें से अधिकांश समतियाँ कुछ सदस्यों तक ही सीमति हैं और उनका संचालन केवल एक या दो गाँवों तक ही सीमति है। परिणामस्वरूप उनके संसाधन सीमति रहते हैं, जसिसे उनके लयि अपने साधनों का वसितार करना तथा अपने संचालन के क्षेत्र का वसितार करना असंभव हो जाता है।

हालया घटनाक्रम:

- जनवरी 2020 में, RBI ने UCBs के लयि **'वशिश परयवेकषी और नयिमक संवरग'** (Supervisory action Framework- SAF) को संशोधति किया।
- जून 2020 में केंद्र सरकार ने सभी शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को RBI की सीधी नगिरानी में लाने के लयि एक अधयादेश को मंजूरी दी।
- वर्ष 2021 में RBI द्वारा एक समति नयिकृत की गई जसिने **UCBs** के लयि 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया।
 - **टयिर 1:** सभी यूनिट यूसीबी और वेतन पाने वाले यूसीबी (जमा आकार के बावजूद) तथा अन्य सभी यूसीबी जनिके पास 100 करोड़ रुपए तक जमा हैं।
 - **टयिर 2:** 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राश वाले यूसीबी।
 - **टयिर 3:** 1,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राश वाले यूसीबी।
 - **टयिर 4:** 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राश वाले यूसीबी।

आगे की राह:

- देश के समरपति सहकारति मंत्रालय की स्थापना सहकारति आंदोलन के इतहिस के लयि एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
- RBI को अधनयिम के प्रावधानों की व्याख्या करनी चाहयि ताकि वे UCBs को बाधति न करें और सहकारी बैंकिंग प्रणाली में लोगों का वशिवास बहाल हो।
- एक मज़बूत लेखा प्रणाली के भरती और कारयान्वयन में पारदर्शति जैसे संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, जो उनके वकिस के लयि आवश्यक हैं।
- प्रबंधकीय भूमिकाओं में नए लोगों, युवाओं और पेशेवरों को लाने की ज़रूरत है, जो सहकारति को आगे बढ़ाएँगे।
- NAFCUB को शहरी ऋण सहकारी समतियों पर वशिश रूप से उनके लेखांकन सॉफ्टवेयर और उनके सामान्य उपनयिमों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- हर शहर में एक अच्छा शहरी सहकारी बैंक होना समय और देश की ज़रूरत है। NAFCUB को सहकारी बैंकों की समस्याओं को न केवल उठाना चाहयि बल्कि उनका समाधान करना चाहयि साथ ही सममति वकिस के लयि भी बेहतर काम करना चाहयि।

वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि:

1. उनका पर्यवेक्षण और वनियमन राज्‍य सरकारों द्वारा स्‍थापति स्‍थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है ।
2. वे इक्‍वटि शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं ।
3. उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्‍यम से बैंकिंग वनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

- सहकारी बैंक वित्तीय संस्थाएँ हैं जो इसके सदस्यों से संबंधित हैं, जो एक ही समय में अपने बैंक के मालिक और ग्राहक हैं। वे राज्य के कानूनों द्वारा स्थापति हैं।
- भारत में सहकारी बैंक, सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। वे आरबीआई द्वारा भी वनियमित होते हैं और बैंकिंग वनियम अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कानून (सहकारी समितियों) अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होते हैं। **अतः कथन 3 सही है।**
- सहकारी बैंक उधार देते हैं और जमा स्वीकार करते हैं। वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के वित्तपोषण और ग्राम और कुटीर उद्योगों के वित्तपोषण के उद्देश्य से स्थापति किये गए हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है।
- शहरी सहकारी बैंकों को एकल-राज्य सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार और बहु-राज्य के मामले में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) द्वारा वनियमित और पर्यवेक्षण किया जाता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है**
- भारतीय रजिस्टर बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को इक्वटि शेयर, अधिमानी शेयर और ऋण लिखत जारी करने के माध्यम से पूंजी बढ़ाने की अनुमति देते हुए मसौदा दिशानिर्देश जारी किये।
- शहरी सहकारी बैंक सदस्यों के रूप में नामांकित अपने परचालन क्षेत्र के व्यक्तियों को इक्वटि जारी करके और मौजूदा सदस्यों को अतिरिक्त इक्वटि शेयरों के माध्यम से शेयर पूंजी जुटा सकते हैं।
- भारतीय रजिस्टर बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को इक्वटि शेयर, अधिमानी शेयर और ऋण लिखत जारी करने के माध्यम से पूंजी बढ़ाने की अनुमति देते हुए मसौदा दिशानिर्देश जारी किये।
 - शहरी सहकारी बैंक सदस्यों के रूप में नामांकित अपने परचालन क्षेत्र के व्यक्तियों को इक्वटि जारी करके और मौजूदा सदस्यों को अतिरिक्त इक्वटि शेयरों के माध्यम से शेयर पूंजी जुटा सकते हैं। **अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प (B) सही उत्तर है।**

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cooperative-banks-4>